ायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी (राज0)

सीन अधिकारी :– राजेश जोशी आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 63 / दावा / 2013

गोरूलाल आ0 नन्दलाल जाति कहार निवासी कहार गली, सदर बाजार बून्दी जर्ये मृतक कायम मुकामान

1/1 नाथूलाल पुत्र स्व. गोरूलाल उम्र 65 वर्ष निवासी कहार गली, सदर बाजार बून्दी

1/2 ओमप्रकाश पुत्र स्व. गोरूलाल उम्र 57 वर्ष निवासी कहार गली, सदर बाजार बून्दी

1/3 मोहनलाल पुत्र स्व. गोरूलाल उम्र 52 वर्ष निवासी कहार गली, सदर बाजार बून्दी

– वादी

– बनाम –

डिलिट 1 कंवरलाल आ0 भेरूलाल जाति कहार निवासी अकतासा का झोपडा तहसील तालेडा जिला बून्दी हाल नौकरी कानूगो पटवार घर अटरू जिला बांरा (राज.)

2 राजेश कहार आ0 कंवरलाल कहार जाति कहार निवासी अकतासा का झोपडा तहसील तालेडा जिला बून्दी

प्रतिवादीगण –

वाद : प्राप्त करने कब्जा भूमि

अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित :– 1. वादी की ओर से अरविन्द प्रकाश शर्मा अधिवक्ता

2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 25.01.2018

1. वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है :–

वादी ने एक वाद दिनांक 15.07.2008 को खतोनी सं. 52 नई पुरानी 40 की कृषि भूमि ख.सं. 977 / 238 रकबा 2 बीघा, ख.सं. 1194 / 363 रकबा 2 बीघा कुल

Scanned by CamScanner

ता 2 कुल रकबा 4 बीघा वाके ग्राम अकतासा तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में उक्त कृषि भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज है। इसलिए वादी को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग का अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त कृषि भूमि को वादी ने 4 वर्ष पूर्व आदोली पर दी थी जिसकी आदोली की फसल गत 1 वर्ष से प्रतिवादीगण ने देना बन्द कर दिया और जबरन कब्जा बना रखा है। प्रतिवादीगण अतिकमी की हैसियत से काबिज होकर लाभ प्राप्त कर रहे है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करे। वादकारण दिनांक 14.06.2008 को प्रतिवादीगण से भूमि का कब्जा छोडने की कहने पर प्रतिवादीगण के मना करने पर उत्पन्न हुआ। अन्त में प्रार्थना की गई की वाद वर्णित भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को संभलाया जावें। वादी को भूमि का कब्जा मिलने तक 20000/–रू0 वार्षिक के हिसाब से भूमि का मुआवजा प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

2. वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने दिनांक 30.06.2009 को जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमि ख.सं. 977/238 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम अकतासा ही वाद विषयवस्तु है शेष भूमि का प्रतिवादी से कोई सबंध नही है। कृषि भूमि खं.सं. 977/238 को 1.12.1990 को प्रतिवादी से 18000/–रू0 प्रतिफल प्राप्त करके वादी ने कब्जा प्रतिवादीगण को सुपुर्द कर दिया। प्रतिवादीगण का वाद विषयक भूमि पर दिनांक 1.12.1990 से आज तक निरन्तर खुल्लम खुला कब्जा स्वयं वादी की जानकारी में चला आ रहा है। इस प्रकार लगभग 19 वर्ष तक प्रतिवादीगण का वाद विषयक भूमि पर कब्जा निरन्तर बने रहने के कारण वादी का वाद विषयक भूमि पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादी का वाद सव्यय खारिज किया जावें।

3. दौराने वाद दिनांक 30.06.2009 को आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का प्रा. पत्र वादी की और से इस आशय का पेश किया की ख.सं. 1194/363 रकबा 2 बीघा पर वादी का ही कब्जा है भूलवश वादपत्र में यह अंकित हो गया कि उक्त ख.सं. पर भी प्रतिवादीगण ने कब्जा कर रखा है जबकि उक्त भूमि वादी के कब्जे में ही है। उक्त प्रा. पत्र वादी का स्वीकार किया गया। अब न्यायालय के समक्ष मात्र कृषि भूमि ख.सं. 977/238 रकबा 2 बीघा के विवाद का ही निर्णय करना शेष रहा है।

Scanned by CamScanner

तिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 10.03.16 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है ऐसीस्थिति में प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी का प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को साबित करने के लिए बवक्त बहस न्यायालय के सामने उपस्थित नही होने के कारण तथा प्रा. पत्र में चाही गई रिलीफ विधि विरूद्ध होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

5. वादी की ओर से साक्ष्य में नाथूलाल जो कि गोरूलाल का पुत्र है का शपथ पत्र पेश किया गया तथा निम्न दस्तावेज पेश किये गये जिनमे लगान पिलाई की रसीद प्रदर्श 1 लगायत 4, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 5, खसरा गिरदावरी 2062–65 प्रदर्श 6, जमाबन्दी सम्वत् 2062–65 प्रदर्श 7, पत्र दिनांक 27.06.84 प्रदर्श 8 है।

6. वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी वकील ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वाद पत्र की प्रार्थना में चाही गई रिलीफ वादी को प्रदान किये जाने का निवेदन किया। हमने वादी वकील की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। यहा पर यह स्वीकृत स्थिति है कि वादीगण की और से प्रतिवादी के द्वारा जवाब दावे में उठाई गई आपत्ति कि "वादी ने दिनांक 1.12.90 को प्रतिवादी से 18000/–रू0 प्रतिफल प्राप्त करके विवादित कृषि भूमि का कब्जा वादी ने प्रतिवादीगण को सुपुर्द कर दिया। प्रतिवादीगण का वाद विषयक भूमि पर दिनांक 1.12.1990 से आज तक निरन्तर खुल्लम खुला कब्जा स्वयं वादी की जानकारी में चला आ रहा है। इस प्रकार लगभग 19 वर्ष तक प्रतिवादीगण का वाद विषयक भूमि पर कब्जा निरन्तर बने रहने के कारण वादी का वाद विषयक भूमि पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया है।" उक्त तथ्यों के सबंध में वादी की और से जवाबुल जवाब प्रस्तुत कर खण्डन नही किया गया और न ही साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत शपथ पत्र के दौरान उक्त तथ्यों का खण्डन किया गया। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के द्वारा विवादित भूमि पर कब्जे की स्थिति के सबंध में उठाई गई आपत्ति का खण्डन करने में वादी पूर्णतया असफल रहा है। कानूनन धारा 183 आर. टी.एक्ट के तहत अतिचारी को ही बेदखल किया जा सकता है और इसके सबंध में भी परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत 12 वर्ष की समय सीमा निश्चित की है। वादी के द्वारा यह तथ्य न्यायालय के सामने साबित नही किया जा सका कि प्रतिवादीगण अतिचारी की हैसियत से काबिज है तथा वादी का वाद अवधि मध्य प्रस्तुत हुआ है यह भी वादी के द्वारा साबित नही किया जा सका। अतः वादी द्वारा वाद पत्र में

Scanned by CamScanner

र्गत तथ्यों को न्यायालय के समक्ष विधि अनुरूप साबित नही किये जाने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाने योग्य है।

निर्णय

परिणामस्वरूप वादी का वाद पत्र वास्ते किये जाने बेदखल प्रतिवादीगण कृषि भूमि ख.सं. 977/238 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम अकतासा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.) अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25–01–2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

25.01.18

(सलेश जोशी)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned by CamScanner